वन विभाग, हरियाणा

<u>आवश्यक सूचना – 9</u>

<u>(काष्ठ आधारित उद्योग)</u>

राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग हरियाणा द्वारा राज्य में नये लाईसैंस हेतू आवेदन मंगवाये गये थे। प्राप्त आवेदनों में जो आवेदनकर्ता लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने हेतू राज्य समिती द्वारा योग्य पाये गये उन्हें प्रस्ताव पत्र (offer letter) जारी किया गया है।

सभी योग्य आवेदनकर्ता जिन द्वारा प्रस्ताव पत्र प्राप्त किया गया है तथा उन्हें लाईसैंस जारी करने हेतू सभी प्रकियायें पूर्ण करनी है, उन द्वारा कुछ प्रकियाओं/आवश्यकताओं पर आपत्ती उठाई गई थी तथा उनमें रियायतें देने बारे अनुरोध किया गया था।

आवेदनकर्ताओं के अनुरोध को ध्यान में रखते हुये लाईसैंस प्रकिया से जुड़े मुददों पर गहन विचार करने उपरान्त सरकार द्वारा अब लाईसैंस जारी करने हेतू आवश्यक प्रकियाओं के बारे निम्न प्रकार से निर्णय लिये गये हैः–

1. सभी योग्य आवेदनकर्ताओं को जिन्हें प्रस्ताव पत्र (offer letter) भेजा गया है उन्हें अब उसे स्वीकार करने उपरान्त बैंक गारंटी प्रपत्र प्रस्तुत नहीं करना होगा। स्वीकार पत्र के साथ अब उन्हें केवल एकमुश्त राशि की बकाया राशि तथा लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन फीस की राशि जमा करनी होगी।
2. प्रस्ताव पत्र में लाईसैंसी को उसकी युनिट स्थापित करने के लिये 12 महीने की अवधि दि गई थी जिसे राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन से और 6 महीने तक बढ़ाने का प्रावधान था। अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक लाईसैंसी को उसकी युनिट स्थापित करने हेतू 24 महीने का समय उपलब्ध होगा जिसे वह राज्य स्तरीय समिती के अनुमोदन से 6 महीने तक बढ़ा सकता है।
3. प्रस्ताव पत्र में काष्ठ आधारित उद्योगों के लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन से सम्बन्धित प्रावधानों के बारे में अब सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि काष्ठ आधारित उद्योगों को जो लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन जारी किया जाऐगा वह जारी करने की तिथि से या नवीनीकरण की तिथि से 5 वर्ष तक वैध रहेगा ।
4. अतः सभी आवेदनकर्ता जिन्हे काष्ठ आधारित उद्योगों के लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन जारी करने हेतू प्रस्ताव पत्र भेजा गया है, उन्हे इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दिये

गये निर्णयों को ध्यान में रखते हुये उन्हे शीघ्र ही संशोधित प्रस्ताव पत्र (offer letter) भेजा जायेगा।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सभी आवेदनकर्ता जिन्हें प्रस्ताव पत्र (offer letter) प्राप्त हो गया है उन द्वारा पूर्व में दियें गये नियम व शर्तों के अनुसार एक मुश्त भुगतान की बकाया राशि (Remaining amount of one time payment) तथा लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन फीस की राशि निर्धारित तिथि तक जमा करनी होगी। **उक्त राशी का भुगतान करने व स्वीकार पत्र (Acceptance letter) को प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि अब दिनांक 13/09/2017 (सांय 5 बजे तक) निर्धारित की गई है ।**

राज्य स्तरीय समिती द्वारा कुछ योग्य आवेदनकर्ताओं को किसी कारणवश अब तक प्रस्ताव पत्र (offer letter) जारी नहीं किया गया है। ऐसे सभी आवेदनकर्ताओं को शीघ्र ही उपरोक्त निर्णयानुसार संशोधित प्रस्ताव पत्र (offer letter) जारी किया जायेगा। ऐसे सभी आवेदनकर्ताओं को पूर्व में दिये गये नियम व शर्तों के अनुसार एक मुश्त भुगतान की बकाया राशी तथा लाईसैंस/रजिस्ट्रेशन फीस की राशी का भुगतान तथा स्वीकार पत्र (Acceptance letter) प्रस्तुत करने के लिये, प्रस्ताव पत्र जारी करने की तिथि से एक महीने का समय उपलब्ध होगा।

Sd/- 08/9/2017

मुख्य वन संरक्षक सुरक्षा-I-कम-सदस्य सचिव
राज्य स्तरीय समिति काष्ठ आधारित उद्योग,
हरियाणा, पंचकूला ।